4 अध्याय – II

कार्मिक नीतियां

(क) सेवा मामले

4(1) लोक उद्यमों में पदों पर विदेशी कार्मिकों की नियुक्ति

''लोक उद्यमों में कार्मिक नीतियों तथा श्रमिक प्रबंध संबंधों'' पर अपनी 17वीं रिपोर्ट में सार्वजनिक उपक्रम समिति (5वीं लोक सभा) ने सार्वजनिक उद्यमों में विदेशी कार्मिकों को रखने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। समिति की सिफारिशों का मुख्य बल यह सुनिश्चित करने पर होगा कि ऐसे कार्मिकों को केवल अनिवार्य प्रयोजनों तथा केवल न्यूनतम आवश्यक अवधि के लिए ही रखा जाएगा। इसके साथ–साथ भारतीय कार्मिकों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे ड्राइंग, डिजाइनिंग तथा प्राथमिक कार्यों में प्रशिक्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि वे इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें। समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में प्रशासनिक मंत्रालयों तथा सार्वजनिक उद्यमों द्वारा निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए।

(i) समिति चाहती है कि गृह मंत्रालय के तारीख 23.2.1966 (अनुबंध) के कार्यालय ज्ञापन सं. 12/9/65 स्था.(बी) के तहत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों का केवल औपचारिक रूप से ही नहीं अपितु वास्तव में अनुपालन किया जाना चाहिए और ऐसा किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से उपर्युक्त अनुदेशों में शामिल निम्नलिखित मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(क) गैर–भारतीयों की नियुक्ति केवल विशेष परिस्थितियों में की जानी चाहिए और न्यूनतम आवश्यक अवधि के लिए केवल ठेके पर की जानी चाहिए।

(ख) इसी के साथ–साथ ऐसे पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करने हेतु उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिएं।

(ग) गैर–भारतीयों की नियुक्ति के मामलों में प्रभारी मंत्री अथवा मंत्रालय/विभाग के ऐसे उप–मंत्री की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, जिसके पास संबंधित उद्यम का प्रशासनिक नियंत्रण हो।

(ii) विदेशी कार्मिक को नियुक्त करने की स्वीकृति देने से पहले प्रभारी प्रशासनिक मंत्रालय उत्पादन के समान, मिलते जुलते अथवा संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी सार्वजनिक उद्यम से अपेक्षित विशेषज्ञता प्राप्त करने की संभावना का पता लगाएगा। वे ऐसे भारतीयों की सेवाएं प्राप्त करने के भी प्रयास करेंगे जो समान क्षेत्रों में विदेशों में कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की है।

(iii) यह देखने के लिए सतर्कता बरती जाएगी कि गैर–भारतीयों से जुड़े भारतीय कार्मिक ठेके की अवधि में विशेषकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे ड्राइंग, डिजाइन तथा प्रचालन कार्य की जटिलताओं को दूर करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने में असमर्थ हैं। जहाँ तक संभव हो, विदेशी कार्मिकों की संविदा अवधि में विस्तार करने को रोकने के लिए, भारतीय कार्मिकों के प्रशिक्षण में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए, उद्यमों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों दोनों के स्तर पर नियमित रूप से समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। इस तरह की समीक्षा कम से कम 6 माह में एक बार की जानी चाहिए। प्रशासनिक मंत्रालय के स्तर पर ये समीक्षाएं उपक्रम के परामर्श से मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में उपक्रम से प्राप्त सूचना के आधार पर की जानी चाहिए।

2. औद्योगिक विकास मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उद्यमों को सलाह दें।

अनुबंध

भारत सरकार के अधीन सिविल पदों तथा भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के पदों पर गैर–भारतीयों की नियुक्ति से संबंधित अनुदेशों के संबंध में सभी मंत्रालयों को गृह मंत्रालय के 23 फरवरी, 1966 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12/9/66 स्थापना (बी) की प्रतिलिपि प्रेषित

अधोहस्ताक्षरी को मंत्रालय के तारीख 4 नवम्बर, 1946 के कार्यालय ज्ञापन सं. 20/06/46 स्थापना (एस) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर गैर–भारतीयों की नियुक्ति संबंधी अनुदेश दिए गए हैं। उनमें निर्धारित सामान्य नीति के अनुसार गैर–भारतीयों की नियुक्ति केवल विशेष परिस्थितियों में की जानी चाहिए और केवल आवश्यक न्यूनतम अवधि के लिए संविदा के आधार पर की जानी चाहिए। तथा साथ ही ऐसे पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के तारीख 16 दिसम्बर, 1946 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन8 के तहत यह निर्णय लिया गया था कि 4 नवम्बर, 1946 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुदेश ऐसे निगम अथवा संगठन, चाहे वह सांविधिक हो अथवा असांविधिक, में नियुक्तियों पर भी लागू होने चाहिए, जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण हो। यदि ऐसे संगठनों में किसी पद पर नियुक्ति संगठन की स्थापना की संविधि के अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में दिए गए विशेष उपबंधों द्वारा नियंत्रित होती है जिससे उपर्युक्त अनुदेशों का पालन करना असंभव जान पड़ता हो, तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों से अनुरोध किया जाए कि वे उन उपबंधों में उपयुक्त संशोधन करें जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गैर भारतीयों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव, नियुक्ति करने से पहले, अनुमोदन के लिए सरकार को भेजे जाते हैं। 14 जुलाई, 1955 तक गैर–भारतीयों की नियुक्ति हेतु सभी प्रस्तावों के संबंध में इस मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त करना अपेक्षित होता था, किंतु इस संबंध में इस मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त करना अपेक्षित होता था, किंतु इस संबंध में इस मंत्रालय तारीख 14 जुलाई, 1955 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/55 सी एम (सी) के तहत प्रशासनिक मंत्रालयों को शक्तियां दी गई थीं। इस कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय प्रभारी मंत्री अथवा उपमंत्री का आदेश प्राप्त करने के बाद इस मंत्रालय के तारीख 4 नवम्बर, 1946 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पदों पर गैर–भारतीयों की नियुक्ति के मामलों पर निर्णय लेने में समर्थ हैं।

2. यह बात मंत्रालय की जानकारी में लाई गई है कि कुछ निगमों/ सार्वजनिक उपक्रमों आदि ने उपर्युक्त अनुदेशों का उल्लंघन करके अपने अधीन पदों पर गैर–भारतीयों की नियुक्ति की है। इसलिए वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि इन अनुदेशों को अपने

प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न निगमों सार्वजनिक उपक्रमों आदि के ध्यान में लाएं और यह सुनिश्चित करें कि गैर–भारतीयों की नियुक्ति इन अनुदेशों के अनुसार हो। इस संबंध में की गई कार्रवाई से यथा समय इस मंत्रालय को अवगत कराया जाए।

(बी पी ई सं. 9(100)71 बी पी ई (जी एम–1) तारीख 23 अक्तूबर, 1972)

***